

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2017/

दिनांक

—: आदेश :—

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से वर्ष 2013-14 से 2015-16 में चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. ()/डीओपी/ए-II/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का परीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की रनिंग पे बेण्ड 15600-39100 में ग्रेड पे 5400/- स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि. अ. के पद पर परीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला देय तिथि
1	डॉ. अदिति मक्कड	01.03.1992	10.10.2015	04.11.2016 (56 EOL)	05.11.2016
2	डॉ. अभिषेक	09.09.1989	02.06.2016	01.06.2017	02.06.2017
3	डॉ. रोयमोन जोसेफ	28.12.1990	03.06.2016	02.06.2017	03.06.2017
4	डॉ. राहुल जैन	28.07.1990	27.06.2016	26.06.2017	27.06.2017
5	डॉ. विपिन यादव	16.10.1990	03.06.2016	02.06.2017	03.06.2017
6	डॉ. सुरेश लाम्बा	01.07.1989	07.06.2016	06.06.2017	07.06.2017
7	डॉ. सुभिता कुमारी	05.07.1990	03.06.2016	02.06.2017	03.06.2017
8	डॉ. रामधन सोमानी	22.07.1986	03.06.2016	02.06.2017	03.06.2017
9	डॉ. रोहित कुमार	24.11.1980	01.07.2016	30.06.2017	01.07.2017
10	डॉ. सर्वेश कुमार योगी	06.07.1987	02.06.2016	01.06.2017	02.06.2017
11	डॉ. हर्ष भारद्वाज	31.08.1992	02.06.2016	01.06.2017	02.06.2017
12	डॉ. अशोक कुमार पाटीदार	25.08.1988	02.06.2016	01.06.2017	02.06.2017
13	डॉ. कुलदीप जिजवाडिया	12.08.1990	02.06.2016	01.06.2017	02.06.2017
14	डॉ. रवि कुमार मीना	20.09.1989	08.07.2016	07.07.2017	08.07.2017
15	डॉ. शक्ति सिंह	21.06.1989	07.10.2015	24.10.2016 (48 EOL)	25.10.2016



 निदेशक (जन स्वा.)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित / डीपीसी / 2017 / 736

दिनांक 24/07/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर